न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखंड अधिकारी मनोहरथाना जिला झालावाड़

पीठासीन अधिकारी: पुष्कर कुमार मित्तल (आर. ए. एस.)

उनवान

कवरी बाई बनाम मथुरालाल वगै 0

प्रकरण संख्या :-105/22

1. कवरी बाई पत्नी बाबूलाल जाति भील निवासी पट्टी तहसील मनोहरथाना

..... वादी

1. मथुरालाल पिता बद्दा जाति भील निवासी पट्टी तहसील मनोहरथाना
2. संतरी बाई पत्नी भेरूलाल जाति भील निवासी पट्टी तहसील मनोहरथाना
3. रघुवीर पिता भेरुलाल जाति भील निवासी पट्टी तहसील मनोहरथाना
4. बद्रीलाल पिता मथुरा लाल जाति भील निवासी पट्टी तहसील मनोहरथाना
5. जितेंद्र पिता बद्रीलाल जाति भील निवासी पट्टी तहसील मनोहरथाना
6. राजेश पिता बद्रीलाल जाति भील निवासी पट्टी तहसील मनोहरथाना
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मनोहरथाना

..... प्रतिवादी गण

विषय: दावा अंतर्गत धारा 183,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत विभाजन।

-:निर्णय:-

दिनाँक:- 17.03.2026

उपस्थित

श्री कैलाश चंद्र वैष्णव अधिवक्ता वादी

1. वादी द्वारा एक वाद जरिये अधिवक्ता उपस्थित न्यायालय होकर

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)

दिनांक14.07.2022 को अंतर्गत धारा 183,राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया गया है। वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है:-

2. ग्राम पट्टी पटवार हलका समरोल तहसील मनोहरथाना की खाता संख्या नया 37 पुराना 33 की खसरा नंबर 1140 /686 की आराजी वादिनी के तन्हा खातेदारी की है इस वादग्रस्त आरजी की 10 -12 फीट भूमि पर प्रतिवादी गण एक लगायत पांच ने जबरन बलपूर्वक नाजायज कब्जा कर लिया है जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है तथा कब्जा कर पक्का निर्माण कार्य कर रहे हैं इस प्रकार वादी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उक्त ग्राम पट्टी पटवार हलका समरोल तहसील मनोहरथाना की खाता संख्या नया 37 पुराना 33 की खसरा नंबर 1140 /686 की आराजी वादिनी को सम्भलायी जाये। वादी ने वाद पत्र के साथ नकल जमाबंदी संवत 2075 -78 नई खाता संख्या 37 पुरानी 33,अपना शपथ पत्र, पेश किये है।

3. वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलबी की गई किंतु बावजूद तलबी प्रतिवादी न्यायालय में उपस्थित नहीं आने के कारण उनके विरुद्ध एक तरफा कार्रवाई अमल में लाई गई। साक्ष्य वादी में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया है। दौराने बहस अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र में लिखे गए कथनों को ही दोहराया गया तथा उसी के अनुसार वादी का दावा डिक्री किए जाने की प्रार्थना की।

4. इस वाद में निम्नलिखित विचारणीय बिंदु उत्पन्न होते हैं :

बिंदु 1 : क्या वादिनी कवरी बाई, ग्राम पट्टी, पटवार हलका समरोल, तहसील मनोहरथाना की खाता संख्या नया 37 / पुराना 33, खसरा नंबर 1140/686 की वैध खातेदार हैं?

बिंदु 2 : क्या प्रतिवादी क्रमांक 1 से 5 ने उक्त वादग्रस्त भूमि के लगभग 10-12 फीट हिस्से पर बिना किसी वैध अधिकार के अनाधिकृत कब्जा किया है?

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)

बिंदु 3 : क्या वादिनी धारा 183, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अंतर्गत प्रतिवादी गण की बेदखली हेतु डिक्री प्राप्त करने की अधिकारिणी है?

बिंदु 4 : वादिनी किस अनुतोष (Relief) की अधिकारिणी है?

5. धारा 183, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 अतिक्रमियों की बेदखली से सम्बन्धित है, जो इस प्रकार है :-

धारा 183(1) : इस अधिनियम के किन्हीं भी प्रावधानों में किसी विपरीत बात के होते हुए भी कोई अतिक्रमी, जिसने किसी भूमि को कब्जे में बिना वैध अधिकार के ले लिया है या ले रखा है, उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों के वाद पर जो उसे आसामी के रूप में बेदखली करने के हकदार हैं, उपधारा (2) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए बेदखली का भागी होगा और साथ ही प्रत्येक कृषि वर्ष – जिसमें उसने पूरे वर्ष या वर्ष के कुछ भाग में इस प्रकार कब्जा रखा हो – के लिए जुर्माने के तौर पर ऐसी रकम चुकाने का भी भागी होगा जो सालाना लगान के 15 गुना तक हो सकती है।

धारा 183(2) : ऐसी भूमि जो सीधे राज्य सरकार से लेकर धारण की हुई हो, या जिस पर राज्य सरकार तहसीलदार की मार्फत अतिक्रमण को आसामी के रूप में स्वीकार करने की हकदार हो, तहसीलदार राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के प्रावधानों के अनुसरण में कार्रवाई करेगा।

6. **बिंदु 1 : क्या वादिनी कवरी बाई, ग्राम पट्टी, पटवार हलका समरोल, तहसील मनोहरथाना की खाता संख्या नया 37 / पुराना 33, खसरा नंबर 1140/686 की वैध खातेदार हैं?**

वादिनी ने अपनी खातेदारी सिद्ध करने के लिए नकल जमाबंदी संवत् 2075-78 प्रस्तुत की है। उक्त जमाबंदी में खाता संख्या नया 37 / पुराना 33, खसरा नंबर

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)

1140/686, ग्राम पट्टी, पटवार हलका समरोल, तहसील मनोहरथाना के सामने वादिनी कवरी बाई का नाम तन्हा खातेदार के रूप में अंकित है। अतः बिंदु 1 का निष्कर्ष वादिनी के पक्ष में है – वादिनी वादग्रस्त भूमि की वैध एवं एकमात्र तन्हा खातेदार है।

7. **बिंदु 2 : क्या प्रतिवादी क्रमांक 1 से 5 ने उक्त वादग्रस्त भूमि के लगभग 10-12 फीट हिस्से पर बिना किसी वैध अधिकार के अनाधिकृत कब्जा किया है?**

वादिनी ने अपने शपथ पत्र में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि प्रतिवादी क्रमांक 1 से 5 ने वादग्रस्त भूमि के लगभग 10-12 फीट हिस्से पर जबरन बलपूर्वक नाजायज कब्जा कर पक्का निर्माण कार्य किया है, जबकि उक्त भूमि पर प्रतिवादी गण का कोई वैध अधिकार नहीं है। एकतरफा कार्यवाही में वादिनी के शपथ पत्र को असत्य मानने का कोई आधार नहीं है। जमाबंदी में भी प्रतिवादी गण का उक्त भूमि पर कोई अधिकार अंकित नहीं है। अतः बिंदु 2 का निष्कर्ष वादिनी के पक्ष में है – प्रतिवादी क्रमांक 1 से 5 का वादग्रस्त भूमि पर कब्जा बिना किसी वैध अधिकार के अनाधिकृत, अवैध एवं जबरन है।

8. **बिंदु 3 : क्या वादिनी धारा 183, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अंतर्गत प्रतिवादी गण की बेदखली हेतु डिक्री प्राप्त करने की अधिकारिणी है?**

धारा 183(1), राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के प्रावधान स्पष्ट करते हैं कि कोई भी अतिक्रमी, जिसने बिना वैध अधिकार के किसी भूमि पर कब्जा किया हो, उस भूमि के खातेदार के वाद पर बेदखली का भागी होगा। उपरोक्त विवेचना में यह सिद्ध हो चुका है कि वादिनी उक्त भूमि की वैध खातेदार है तथा प्रतिवादी गण ने बिना वैध अधिकार के उक्त भूमि पर कब्जा कर रखा है। अतः धारा 183 के अंतर्गत वादिनी डिक्री प्राप्त करने की पूर्णतः अधिकारिणी है। बिंदु 3 का निष्कर्ष वादिनी के पक्ष में निर्णित किया जाता है

उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
मनोहरथाना, जिला झालावाड़ (राज.)

9. बिंदु 4 : वादिनी किस अनुतोष (Relief) की अधिकारिणी है?

उपरोक्त समस्त विवेचना एवं निष्कर्षों के आधार पर वादिनी, प्रतिवादी क्रमांक 1 से 5 के विरुद्ध बेदखली की डिक्री प्राप्त करने की अधिकारिणी है। वादिनी को वादग्रस्त भूमि सुपुर्द कराई जाने की राहत दिलाया जाना न्यायोचित है।

:: आदेश ::

उपरोक्त तथ्यों, प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों, वादिनी के शपथ पत्र एवं धारा 183, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के विधिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में, यह न्यायालय निम्नलिखित डिक्री आदेश पारित करता है :

वादिनी कवरी बाई पत्नी बाबूलाल का दावा प्रतिवादी क्रमांक 1 से 5 के विरुद्ध एकतरफा (Ex-parte) डिक्री किया जाता है प्रतिवादी क्रमांक 1 से 5 द्वारा वादग्रस्त भूमि पर किया गया समस्त पक्का निर्माण कार्य प्रतिवादी गण स्वयं के व्यय पर हटाएँगे तथा भूमि को यथावत् मूल स्वरूप में वादिनी को सुपुर्द करेंगे।. इस डिक्री आदेश की पालना आदेश दिनांक से 30 दिवस के भीतर सुनिश्चित की जाये। यदि प्रतिवादी गण निर्धारित समयावधि में डिक्री की पालना न करें तो वादिनी विधि के अनुसार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकती हैं। इस वाद में वाद व्यय उभय पक्ष अपना-अपना वहन करेंगे।

यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया एवं हस्ताक्षरित किया जाकर न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

17.3.26

पुष्कर कुमार मित्तल (आर. ए. एस.)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना